न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक –तीन/2016 – पुनरीक्षण

सुल्तान खॉ

बल्द श्री कासिम खॉ

निवासी ग्राम सतनवाड़ा कलॉ

तहसील शिवपुरी

जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश ---आवेद

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा

कलेक्टर जिला शिवपुरी ---अनावेदक

(आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर , म0प्र0 व्दारा के प्रकरण कमांक 186/ 2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 के विरुद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत अंतर्गत धारा 50 - म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 एंव म0प्र0राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की कंडिका 30 के अंतर्गत)

कृ0पृ0उ0--2

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 882–तीन/2016 निगरानी जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.

आ दे श

(दिनांक 18 मार्च, 2016 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्र0क0 186/2011–12 अपील में पारित आदेश दि. 31–12–2015 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 सहपठित राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 की कंडिका 30 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक सुल्तान खॉ पुत्र कासिम खॉ निवासी सतनवाड़ा के नाम ग्राम सतनवाड़ा में भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 179 रकबा 1.850 हैक्टर है। इस भूमि पर म0प्र0शासन के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग ने भूमि अधिग्रहण किये बिना तालाब निर्माण कर लिया तथा कुछ भाग पर वृक्षारोपण कर दिया। आवेदक ने ग्राम सतनवाड़ा की भूमि शासन व्दारा अधिग्रहण किये बिना तालाब निर्माण हेतु ले लेने के कारण निकटस्थ मौजा ग्राम श्यामपुर की भूमि सर्वे कमांक 01 रकबा 25.60 हैक्टर में से आवागमन की सुविधार्थ सड़क किनारे समान भूमि का रकबा अर्थात 1.850 है0 विनिमय में दिये जाने की मांग कलेक्टर शिवपुरी से की। कलेक्टर शिवपुरी ने प्रकरण कमांक 150 अ–19/2005–06 दर्ज किया एंव तहसीलदार शिवपुरी तथा एस0डी0ओ0शिवपुरी से जांच कराकर आदेश दिनांक 31–10–2009 पारित किया एंव विनिमय आवेदन अमान्य कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील

प्रस्तुत करने पर प्रकरण क्रमांक 186/11–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–12–2015 से अपील निरस्त कर दी गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ आवेदक के अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अधिग्रहण किये बिना एंव मुआवजा दिये बिना आवेदक की भूमि शासन व्दारा शासकीय प्रयोजन हेतु नहीं ली जा सकती। अधिग्रहण न किये जाने का मुख्य कारण यह था कि तत्कालीन कलेक्टर शिवपुरी ने आवेदक को आश्वसस्त किया था कि मौके पर शासकीय तालाब बन जाने दें, कार्य न रोकें, भूमि के बदले में भूमि दे दी जावेगी एंव आवेदक से समक्ष में अपेक्षा की गई कि वह विनिमय में जिस भूमि को लेना चाहता है आवेदन देवे। तब आवेदक ने विनिमय आवेदन दिया एंव इसी बीच कलेक्टर शिवपुरी का स्थानान्तर हुआ एंव नवीन कलेक्टर शिवपुरी ने वास्तविकता जाने बिना विनिमय आवेदन निरस्त करने में भूल की है एंव आयुक्त ग्वालियर संभाग ने भूमि शासन व्दारा ले लेना मानते हुये भी अपील निरस्त करने में भूल की है।

शासन के पैनल लायर ने बताया कि राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 के अंतर्गत सुनवाई के अधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है उन्होंने यह भी बताया कि विनिमय में ली जाने वाली भूमि आवेदक की भूमि से कीमती है इसलिये शासन को विनिमय से हानि है। उन्होंने कलेक्टर एंव आयुक्त के आदेश सही होना बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग की।

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 882-तीन/2016 निगरानी जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्त
	5/ विचार योग्य है कि क्या राजस्व मण्डल को राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत अपील/निगरानी सुनने के अधिकार है अथवा नहीं ? मान0उच्च न्यायालय व्दारा बानमोर सीमेंट वर्क्स लिमि0 (मेस.) मुरैना विरूद्व म0प्र0राज्य 2012 रा0नि0 385 में व्यवस्था दी है किः- **" Maintainability of appeal – order passed by Revenue Officer under provision of M.P.Revenue Book Circulars – appeal against such order is maintainable before Board Of Revenue.** अतः राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत विचारित कार्यवाहियों में आयुक्त/अपर आयुक्त व्दारा पारित आदेशों के विरूद्व अपील/निगरानी सुनने की अधिकारिता राजस्व मण्डल को है। राजस्व मण्डल राजस्व मामलों के निराकरण के लिये मध्य प्रदेश शासन का सर्वोच्य ऑग है जिसके कारण पैनल लायर का तर्क बेबुनियाद है। 6/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कानुकम में अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि ग्राम सतनवाड़ा स्थित भूमि सर्वे कमांक 179 रकबा 1.850 हैक्टर आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की है । आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 186/ 2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-12-2015 के पद-5 में अंकित किया गया है कि - " अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी के पत्र कमांक री-अपर कले0/13/11 दिनांक 17-10-2013 से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी की भूमि तालाब एंव बृक्षारोपण में जाना पाया जाता और यह तालाब ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग व्दारा निर्माण कराया गया है। " आयुक्त व्दारा इसीके आगे अंकित किया है कि :-	

" शासन निर्देशानुसार शासकीय भूमि की अदली–बदली केवल उन्हीं मामलों में की जाएगी जहां किसी शासकीय योजना के निर्माण कें कारण निजी भूमिस्वामी की भूमि का उपयोग शासन व्दारा किया जाना अपरिहार्य हो एंव अदला बदली के प्रकरण पर विचार तब ही संभव होगा जब संबंधित विभाग व्दारा यह प्रमाणित किया जाये कि योजना–परियोजना हेतु भूअर्जन किये जाने के लिये राशि का प्रावधान नहीं है।''

आवेदक की भूमि पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग व्दारा तालाब निर्माण एंव बृक्षारोपण कार्य कर देना विचाराधीन प्रकरण में अपर कलेक्टर शिवपुरी प्रतिवेदित कर रहे हैं आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार निर्माण कार्य रोकने पर तत्का. कलेक्टर ने समान भूमि विनिमय में दिये जाने का आश्वासन देते हुये आवेदन मांगा है इसलिये भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। यह भी निर्विवाद है कि आवेदक को भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है। इसके वाद भी आवेदक के भरण–पोषण की कृषि भूमि तालाब निर्माण एंव बृक्षारोपण के लिये शासकीय प्रयोजन में लेने के वाद उसे अपेक्षित भूमि न दिया जाना न्यायसंगत नहीं है और इन तथ्यों पर कलेक्टर शिवपुरी एंव आयुक्त ग्वालियर संभाग व्दारा गौर न करने में भूल की है।

7/ वाद विचारित भूमियों के सम्बन्ध में तहसीलदार शिवपुरी ने स्थल निरीक्षण उपरांत जॉच प्रतिवेदन कमांक री–3/13/234 दिनांक 27–8–13 प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार है –

- ग्राम सतनवाड़ा कला के सर्वे नंबर 179 रकबा 1.85 है. का स्थल निरीक्षण किया गया, उक्त सर्वे नं. के रकबा 1.60 है. पर बृक्षारोपण एंव तालाब निर्माण करवाया गया है। लगभग 0.25 है. रकबा खाली पड़ा है। वृक्षारोपण एंव तालाब निर्माण स्थल को पत्थर की बाउन्ड्री से घेर रखा है। *

मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के परिपत्र कमांक एफ–16–49/2010/सात–2 ए दिनांक 12–9–2011 व्दारा राजस्व पुस्तक परिपत्र/ चार–3 की कंडिका 20 में किये गये

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 882-तीन/2016 निगरानी जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.

सॅशोधन निम्नवत् है :-

" कंडिका 20 (अदला-बदली) (1) निजी भूमि के बदले शासकीय भूमि की अदला-बदली केवल उन्हीं मामलों में की जाएगी जहां किसी शासकीय योजना के निर्माण के कारण निजी भूमिस्वामी की भूमि का उपयोग शासन व्दारा किया जाना अपरिहार्य हो अन्यथा नहीं। "

आवेदक के स्वामित्व की भूमि शासकीय प्रयोजन के लिये अधिग्रहण किये बिना एंव मुआवजा दिये बिना ली गई है मध्य प्रदेश शासन के उक्त परिपत्र से की गई व्यवस्था अनुसार आवेदक भूमि विनिमय में प्राप्त करने का हकदार है। आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 31.12.2015 में बताया गया है कि आवेदक की निजी असिंचित भूमि स्थित ग्राम सतनवाड़ा की कीमत रू. 1,30,000/- प्रति हैक्टर के मान से 1.85 हैक्टर की कुल कीमत 2,40,500/-रू. है एंव विनिमय में प्राप्त करने वाली ग्राम श्यामपुर की भूमि राष्ट्रीय राज्य मार्ग से लगी होने से 100 प्रतिशत अधिक यानि 2,20,000/-रू. प्रति हैक्टर के मान से 1.85 हैक्टर की कीमत 4,07,000/-रू. है अंतर की राशि 2,66,500/-रू. शासन हित में आवेदक जमा करने तैयार है तब दोनों पक्षों को विनिमय अलाभकारी नहीं है।

8/ ग्राम पंचायत ने वादग्रस्त भूमि के विनिमय पर आपत्ति न होना एंव भूमि विनिमय में दिये जाने की अनुशॅसा की है। तहसीलदार एंव अनुविभागीय अधिकारी ने भूमि विनिमय वावत् प्रतिवेदन दिये हैं। विचाराधीन प्रकरण में ग्राम श्यामपुर की भूमि सर्वे नंबर 1 रकबा 25.60 हैक्टर अन्य मद की दर्ज है जिसमें से आवेदक को विनिमय में दी जाने वाली भूमि 1.85 हैक्टर कम होने पर आवेदक से कृषि भूमि प्राप्त कर लेने के कारण ग्राम सतनवाडा की आवेदक की भूमि मौजा श्यामपुर की भूमि से लगी होने पर शासकीय रकबा समान हो गया है जिसके

कारण ग्राम श्यामपुर की भूमि सर्वे नंबर 1 रकबा 25.60 हैक्टर में से आवेदक को विनिमय में दी जाने वाली समान भूमि 1.85 हैक्टर , जो पटवारी एंव राजस्व निरीक्षक ने नक्शा अक्स में राष्ट्रीय राज्य मार्ग किनारे चिन्हित की गई है, सर्वे नंबर 1 के रकबा 25.60 हैक्टर में से रकबा 1.85 हैक्टर को काबिलकास्त मद में परिवर्तित किये जाने की बैधानिक अड़चन न होने से काबिलकास्त घोषित किया जाता है।

9/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्र0 क0 186/2011–12 अपील में आदेश दिनांक 31–12–2015 एंव कलेक्टर शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 150 अ–19/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 31–10–2009 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव ग्राम सतनवाड़ा स्थित शासकीय प्रयोग में ली गई आवेदक के स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 179 रकबा 1.850 हैक्टर के बदले सतनवाड़ा के मौजे से लगी हुई ग्राम श्यामपुर मौजे की भूमि सर्वे कमांक 01 रकबा 25.60 हैक्टर में से राजस्व निरीक्षक एंव पटवारी व्दारा नक्शा अक्स में चिन्हित राष्ट्रीय राज्य मार्ग के किनारे 1.850 हैक्टर समान भूमि का विनिमय निम्न शर्तो के अधीन स्वीकार जाता हैः–

1. राजस्व निरीक्षक एंव पटवारी व्दारा नक्शा अक्स में आवेदक को विनिमय में दी जाने वाली भूमि चिन्हित कर प्रस्तुत किये नक्शा का अक्स इस आदेश का अॅग समझा जावेगा।
2. आवेदक से शासकीय भूमि के मूल्य के अंतर की राशि रूपये 2,66,500/– शासकीय मद में जमा कराई जाय।
3. आवेदक के स्वत्व एंव स्वामित्व की शासकीय अभिलेख में अंकित सतनवाड़ा स्थित भूमि स0क0 179 रकबा 1.850 हैक्टर को मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज किया जाय।
4. तदुपरांत ग्राम श्यामपुर की भूमि स0क0 01 रकबा 25.60 हैक्टर में से राजस्व निरीक्षक एंव पटवारी व्दारा नक्शा अक्स में राष्ट्रीय राज्य मार्ग के किनारे की चिन्हित भूमि 1.85 हैक्टर आवेदक के नाम दर्ज की जाय एंव नक्शे में बटांकन करने के उपरांत मौके पर नप्ती करके कब्जा प्रदान किया जावे।

सदस्य

प्रस्तावित नक्शा प्रतिलिपि
ग्राम - श्यामपुर ता. डोगर
प०ह०क्र० 24
तहसील शिवपुरी

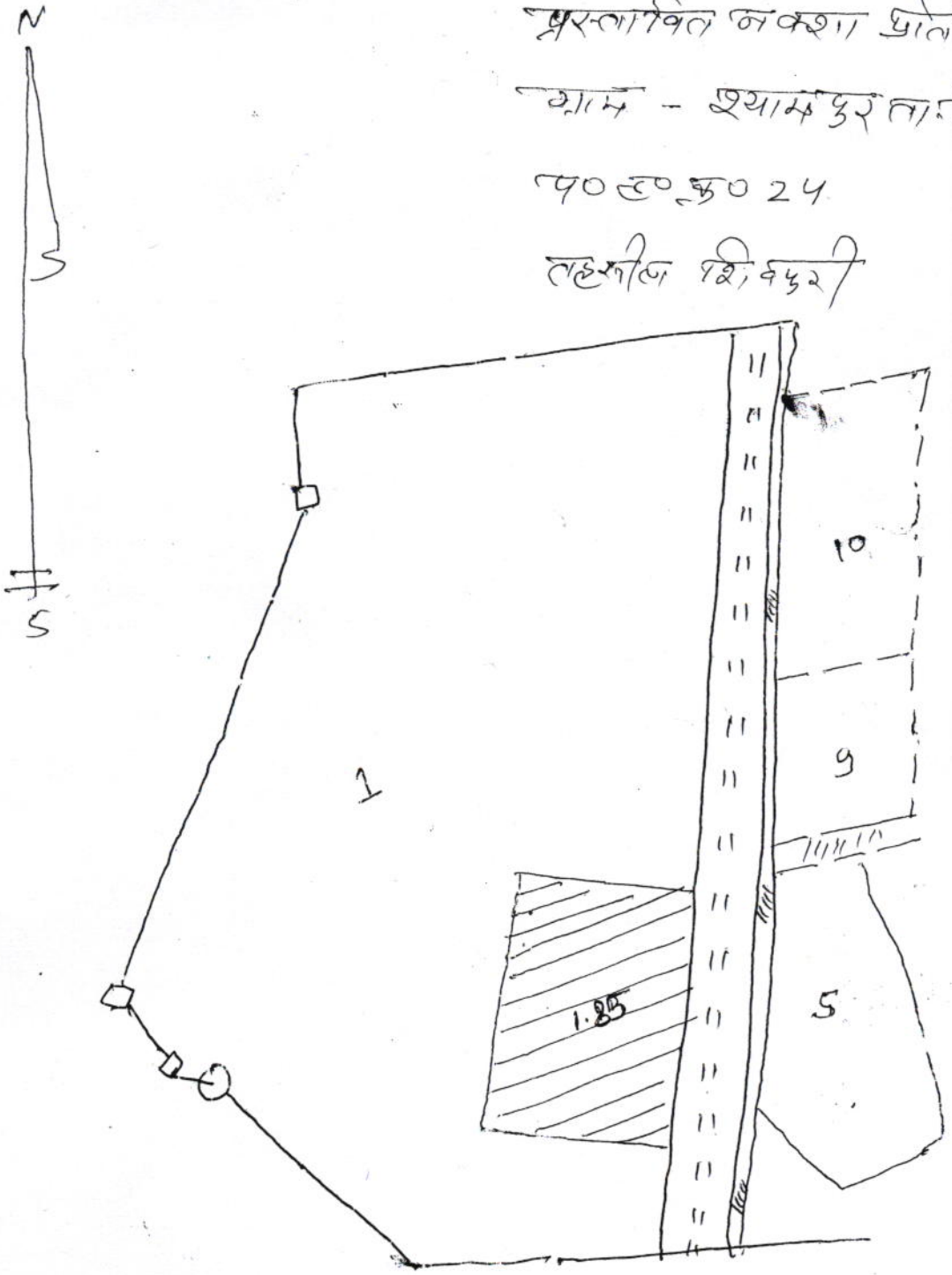

नोट:- लाल स्याही से प्रस्तावित क्षेत्र 1.85
हे० चिन्हित हेतु दर्शाया है

राजस्व निरीक्षक
वृत 01 सुभाषपुरा तह. शिवपुरी